रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 25, 1987/वैशाख 5, 1909

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 25, 1987/VAISAKHA 5, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1987

सा. का. नि. 288.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि, न्याय और कानूनी कार्य मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता, मुम्बई, दिल्ली और कलकत्ता भर्ती नियम, 1978 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग में केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता, मुम्बई, दिल्ली और कलकत्ता के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता, मुम्बई, दिल्ली और कलकत्ता, भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1987

सा.का.नि. 302—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह ग पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में, इंजीनियरी सहायक के पद से संबंधित क्रम सख्यांक के सामने स्तम्भ 12 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायगी, अर्थात् :—

"प्रोन्नति

आकाशवाणी/दूरदर्शन के ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी, जिन्होंने उस श्रेणी में या उच्चतर श्रेणी में, नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है।

सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा

आकाशवाणी/दूरदर्शन के ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है, या जिन्होंने तकनीकी और ज्येष्ठ तकनीकी की श्रेणियों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इन श्रेणियों में कुल मिलाकर 8 वर्ष की सेवा की है, या ऐसे मास्टर तकनीकी/डीजल तकनीकी जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है।

पाद टिप्पण : आकाशवाणी (वर्ग-III पद) भर्ती नियम, 1964 सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1776 तारीख 30 नवम्बर, 1964 द्वारा प्रख्यापित किये गये थे। तत्पश्चात् उनको भारत सरकार के और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 704/11/77-बी (डी), तारीख 10 मई, 1979, सा.का.नि सं. 762, तारीख 2 जून, 1970 के साथ आंशिक रूप में अधिक्रांत किया गया, और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 704/11/77-बी (डी), तारीख 7-2-81 के अधीन संशोधन किया गया, और स. 310/10/82-बी (डी) तारीख 7 मई, 1985 के अधीन और संशोधन किया, तथा सं. 310/10/82-बी (डी), तारीख 18 अगस्त 1986 के अधीन पुन. संशोधन किया गया।

[सं. 310/10/82-बी (डी)]

वी.के. अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 11th March, 1987

G.S.R. 302.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group C posts) Recruitment Rules 1979, namely :

2. (1) These rules may be called the All India Radio (Group C Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Schedule to the All India Radio (Group C posts) Recruitment Rules, 1979, against serial number 1, relating to the post of Engineering Assistant, in column 12, for the entry, the following entry shall be substituted namely:—

"Promotion.—Senior Technicians in All India Radio|Doordarshan with 5 years' service in the grade or in a higher grade, rendered after appointment to the grade on a regular basis.

Limited Departmental Competitive Examination.—Senior Technicians in All India Radio|Doordarshan with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis, or, with 8 years' total service in the grades of Technician and Senior Technician rendered after appointment to these grades on a regular basis ,or, Mast Technicians|Diesel Technicians with 8 years' service rendered in the grade after appointment thereto on a regular basis".

Footnote:—All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules 1964 were promulgated vide Ministry of Information and Broadcasting Notification No. G.S.R. 1776 dated 30th November, 1964. Subsequently, superceded partially under the Notification of the Government of India in the Ministry of I & B No. 704|11|77-B(D), dated 10th May, 1979, with G.S.R. No. 762, dated 2nd June, 1979, and amended under the Notification of the Government of India in the Ministry of I & B No. 704|11|77-B (D), dated 7-2-81; and further amended under No. 310|10|82-B(D), dated 7th May, 1985, and, again amended under No. 310|10|82-B(D), dated 18th August, 1986.

[No. 310|10|82-B(D)]

V. K. ARORA, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

सा० का० नि० 303—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 7 के पैरा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्—